कार्यालय अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग

विविध वाद संख्या......59....../2019–20

आदेश पत्रक

17/2/20
03/03/2020.

अभिलेख का संधारण आवेदिका हेमिया देवी पति स्व0 उत्तीम महतो ग्राम बुढ़ीयाडीह के आवेदन पर तैयार किया गया है। आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है कि मौजा बुढ़ीयाडीह के खाता नं0 10 कुल रकबा 3.60 ए0 का रसीद पर रोक लागने से संबंधि है।

प्राप्त आवेदन पर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जांच प्रतिवेदन मे उल्लेख किया गया है कि मौजा बुढियाडीह थाना नं0–52 के खाता नं0–10 रकबा 10.81 ए0 रैयती खाते की भूमि से संबंधित है, जो हेमिया देवी को केवाला द्वारा हासिल है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ सं0–69/1 पर वर्तमान रकबा 7.05 ए0 का आवेदिका के नाम पर कायम है। आवेदिका के द्वारा अपने गोतनी मो0 झुनिया देवी को इसी खाते से रकबा 3.60 ए0 भूमि दिया गया था, खाते से रकबा 3.60 ए0 भूमि दिया गया था, जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ 71/1 पर झुनिया देवी पति टेकन महतो के नाम पर कायम था, किन्तु झुनिया के द्वारा रकबा 3.58 ए0 भूमि बिक्री किये जाने के उपरान्त शेष रकबा 0.02ए0 दर्ज है पंजी–2 के पृष्ठ सं0 71/1 से भूमि खारिज हो कर पेज नं0 29/2 पर रकबा 3.58 ए0 का हरिहर उर्फ हरि प्रसाद वो सहदेव यादव पिता सेवल यादव, मुन्द्रिका देवी, किशुन देव यादव, सेवल यादव के नाम पर दा0 खा0 वाद सं0–356/01–02 के द्वारा दर्ज है।

अंचल अमीन के स्थलीय जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। संपूर्ण 10.81 एकड़ भूमि पर वर्तमान में आवेदकी का ही दखल पाया गया।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि झुनिया देवी पति स्व0 टेको महतो को खोरपोश के रूप में दिया, जिसे बिक्री का हक नहीं होगा। संलग्न रजि0 पट्टा का अवलोकन किया। डीड सं0–20344 दिनांक 01.11.61 का अवलोकन किया। डीड में लेख्य क प्रकार खोरपोश नामा ता जिन्दगी लेख्यधारी का उल्लेख है एवं डीड में इस बात का भी उल्लेख है कि उपरोक्त सम्पत्ती खोरपोश ता जिन्दगी पैदा अपने भोग तसरूफ किया करे बिक्री करने का कोई हक नहीं है। आवेदन में झुनिया देवी द्वारा डीड के शर्त के विरूद्ध भूमि बिक्री किये जाने एवं हरिहर उर्फ हरि प्रसाद यादव के नाभ से खारिज जमाबंदी को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अतः संबंधित पक्षों को खास नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक...24/04/2020...को रखें।

03/03/2020.
अंचल अधिकारी
बरकट्ठा

24/04/20 – अभिलेख उपस्थापित। का अन्य कार्यों में व्यस्त।
अभिलेख दिनांक 20/05/2020 को रखें।

[illegible] – अभिलेख उपस्थापित। [illegible] प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें।
13/[illegible]/2020.

Scanned by CamScanner

दि नांक	आदेश	अभ्युक्ति
31/10/25	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। दोनों पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्षकार द्वारा रजि0 पट्टा सं0–20344/61 की छायाप्रति उपस्थापित की गई जिसमें लेख्यकारी हेमीया देवी ने लेख्यधारी मो0 झुनिया पति टेकन महतो को कुल 61 प्लॉटों में कुल 3.60 एकड़ खेरपोश के रूप में रजिस्ट्री की है उक्त रजि0 पट्टा में इस बात का उल्लेख है कि बिक्री करने का कोई हक नहीं है। मो0 झुनिया ने डीड के शर्तों का उल्लंघन कर ही हरिहर प्रसाद वगै0 को बिक्री कर दी। बिक्री का निबंधन कोलकाता में किया गया इस संबंध में अचल अमीन से स्थलीय जाँच कराई गई। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि संपूर्ण–10.81 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष यथा आवेदक का दखल है। द्वितीय पक्ष सहदेव यादव के द्वारा समर्पित राजस्व दस्तावेज का अवलोकन किया। कोलकाता में निबंधित डीड वर्ष 1983 से संबंधित एवं कार्यालय अंचल अधिकारी के द्वारा वाद सं0 18/85–86 में पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न की गई है, अवलोकन किया। अंचल अधिकारी द्वारा आवेदिका झुनिया देवी के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपस्थापित डीड वर्ष 1971 का है के पश्चात पुनः कोलकाता निबंधन कार्यालय में भूमि का निबंधन 1983 में कराये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। दोनों पक्षकारों के द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि डीड का स्वरूप Conditional था तथा एक डीड में निबंधन के पश्चात पुनः कोलकाता में भूमि का निबंधन कराये जाने का औचित्य नहीं जान पड़ता। अंचल अमीन के द्वारा क्रेता का निबंधन पश्चात् आजतक दखल नहीं पाया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पूर्व में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के उपरांत पुनः मेरे स्तर पर कोई भी आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत जान नहीं पड़ता। उक्त तथ्यों के आलोक में अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही को भेजें। 31/10/25 अंचल अधिकारी बरकट्ठा	

Scanned by CamScanner